

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 881] No. 881] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

### श्रम और रोजगार मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1333(अ).—केन्द्रीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000 का 21) के अध्याय III के साथ पठित:—

- (i) ठेका श्रम(विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970(1970 का 37) की धारा 35;
- (ii) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1979(1979 का 30) की धारा 35;
- (iii) भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कामगार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996(1996 का 27) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विशेषज्ञ समिति के साथ परामर्श करने के बाद;

कतिपय श्रम विधि के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण नियम, 2017 को और आगे संशोधित करने का प्रस्ताव करती है, उन कितपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है, जिनके उनसे प्रभावित होने के संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अविधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाएं जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हो;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, भारत सरकार और महानिदेशक(श्रम कल्याण), जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड. नई दिल्ली – 110011 को भेजें।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

#### प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों का नाम कतिपय श्रम विधि(संशोधन) नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सृव्यवस्थीकरण है।
  - (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. कतिपय श्रम विधि के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण नियम, 2017 (इसके बाद मूल नियमों में रूप में संदर्भित) में नीचे विनिर्दिष्ट किए गए स्वरूप में संशोधन किया जाएगा, नामत::-

6418 GI/2017 (1)

- (i) मूल नियमों के नियम 2 में, उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अंत-स्थापित किया जाएगा, नामत∷-
- "(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई प्ररूप उपरोक्त अधिनियमनों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनार्थ अनिवार्य रूप से श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करने की अपेक्षा कर सकती है।";
- (ii) मूल नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप XII के बाद, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाए, नामत ∷-

#### "प्ररूप XIII

[ठेका श्रम(विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 17(1); भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार(नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 23(1); अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1980 के नियम 3(1) के अंतर्गत

# ठेका श्रम/प्रवासी कर्मकारों/भवन कामगारों को नियोजित करने वाले स्थापनों के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन

- स्थापन का ब्यौरा
- 1. स्थापन का नाम और अवस्थिति
- 2. स्थापन का डाक पता
- 3. पीएएन/जीएसटीआईएन/एलआईएन संख्या
- 4. प्रधान नियोक्ता/नियोक्ता\* का पूरा नाम और पता
- 5. स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक या व्यक्ति का पूरा नाम और पता।
- 6. स्थापन में किए जा रहे कार्य/भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य\* की प्रकृति।
- 7. स्थापन में किसी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों/भवन कामगारों\* की अधिकतम संख्या।
- 8. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य\* के आरंभ की अनुमानित तारीख।
- 9. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य\* की समाप्ति की तारीख।

#### ठेकेदारों\*\* का ब्यौरा

क्र.	नाम और	पीएएन/जीएसटीआईएन/एलआईएन	मोबाइल सं	ई-मेल	कार्य की	किसी दिन	कार्य के	कार्य पूर्ण
सं.	पता	संख्या		आईडी	प्रकृति	नियोजित किए	आरंभ की	होने की
						जाने वाले	अनुमानित	अनुमानित
						कर्मकारों की	तारीख	तारीख
						अधिकतम		
						संख्या		

10. रजिस्ट्रीकरण शुल्क की राशि:

प्रधान नियोक्ता/नियोक्ता\* के हस्ताक्षर

### प्ररूप-XIV

## एकीकृत वार्षिक विवरणी

[ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के नियम 82(1) एवं 82(2); भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) केंद्रीय नियम 1998 के नियम 242; तथा अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) केंद्रीय नियम, 1980 के नियम 45(1) और 56(2) के अधीन]

<sup>\*</sup>जो लागू न हो उसे काट दें।

<sup>\*\*</sup>प्रधान नियोक्ता द्वारा भरा जाए।

[ MIN II N	अ॰७ ७(I)] नारा का राज	न्य . जलावार्य		3			
क्रम संख्या	- क: साधारण भाग:						
(क) स्थापन	न का नाम						
स्थापन का	पता: गृह सं./फ्लैट संगल	ती/प्लॉट सं					
उपनगर	जिलाराज्य	पिनकोः	ड				
(ख) <b>नियो</b> ज	वककानाम						
नियोजक क	हा पता						
उपनगर	जिलाराज्य	पिनव	कोड				
ईमेल आई	डीटेलीफोन सं		मो.सं				
क्रम संख्या	ख नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिनियमों के	ज्ञिष्टीन नियोजक का <b>र</b> ि	जेस्ट्रीकरण/अनुज्ञ <b>ति संख्या</b> :				
क्रम सं.	नाम	रजिस्ट्रीकरण	यदि हां, रजिस्ट्रीकरण	<del></del> सं.			
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1996						
2.	संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970						
3.	अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1979						
4.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952						
5.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948						
6.	खान अधिनियम, 1952- कोयला खान विनियम, 1957 या खान और खनिज विनियम, 1961 के विनियम 3 के अधीन खुलने की सूचना						
7.	कारखाना अधिनियम, 1948						
8.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961						
9.	दुकान और स्थापन अधिनियम (राज्य अधिनियम)						
10.	तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि						
क्र. सं. गप्र	धान नियोक्ता, ठेकेदार और ठेका श्रम के ब्यौरे						
1.	संविदाकार के स्थापन के मामले में प्रधान नियोजक के न	गम					
2.	स्थापन के प्रारंभ होने की तारीख						
3.	वर्ष के दौरान स्थापन में लगे हुए संविदाकारों की संख्या						
4.	वर्ष के दौरान कुल दिनों की संख्या जिनको संविदा श्रम नियोजित किया गया था						
5.	वर्ष के दौरान संविदा श्रम द्वारा किए गए कार्य के श्रम वि	देवसों की कुल संख्या					
6.	प्रबंधक अभिकर्ता (खानों के मामले में) का नाम						
7.	<b>पता</b> : गृह सं./फ्लैट सं गली/प्लॉट सं उपनगर पिनकोड						

ई मेल आईडी...... मो.सं..... मो.सं....

# क्र. सं. घ कार्य दिवस और सप्ताह दिवस:

1.	वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या	
2.	वर्ष के दौरान कार्य किए श्रमों दिवसों की संख्या	
3.	कार्य के दैनिक घण्टे	
4.	विश्राम का साप्ताहिक दिवस	

# क्र.सं. इ वर्ष के दौरान किसी दिन में नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या:

क्र.सं.	पुरुष	स्त्री	किशोर (14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच)	बालक (14 वर्ष की आयु से कम)	योग

# क्र.सं. च मजदूरी दर (प्रवर्गवार):

प्रवर्ग	मजदूरी		कर्मकारों की संख्या						
	की दर	नियमित			संविदा				
		पुरुष	स्त्री	बालक	किशोर	पुरुष	स्त्री	बालक	किशोर
अति कुशल									
कुशल									
अर्ध कुशल									
अकुशल									

# क्र.सं. छ (क) संदायों के ब्यौरे:-

संदत्त सकल मजदू	री	कटौती			संदत्त शुद्ध मजदूरी	
नकद रूप में	वस्तु रूप में	जुर्माना	नुकसान या हानि के लिए कटौती	अन्य	नकद रूप में	वस्तु रूप में

# (ख) ऐसे कर्मकारों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान मजदूरी सहित छुट्टी प्रदान की गई थी:

क्रम सं.	वर्ष के दौरान	कर्मकारों की संख्या	मजदूरी सहित छुट्टी मंजूर की गई

# क्र. सं. ज कानूनी स्कीमों के अधीन प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं के ब्यौरे:

क्र.सं.	प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुख-सुविधाओं की प्रकृति	कानूनी (परिनियम विनिर्दिष्ट करें)

# क्रम सं. झ अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1979 तथा अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1980:

वर्ष के दौरान स्थापन में	कार्य या परिचालन की	नियोजित अंतरराज्यिक	वर्ष के दौरान उन दिनों	अंतरराज्यिक प्रवासी
काम करने वाले	प्रकृति जिसमें	प्रवासी कर्मकारों की	की कुल संख्या जिनमें	कर्मकारों द्वारा काम
ठेकेदारों की संख्या	अंतरराज्यिक प्रवासी	अधिकतम संख्या	प्रवासी कर्मकारों की	किए जाने के श्रम-
	कर्मकारों को नियोजित		नियोजित किया गया	दिवसों की कुल संख्या
	किया गया		था	
1.	2.	3.	4.	5.

# सं. ञ भवन एवं अन्य सिन्नर्गाण कर्मकार(नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सिन्नर्गाण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त का विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998:

क       वर्ष के दौरान िकसी दिन नियोजित भवन कामगारों की अधिकतम संख्या         ख       वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या         ख1(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से कम समय के भीतर भवन कामगार अपंग हुए         ख1(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख2(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों के बाद भवन कामगार अपंग हुए लेकिन जिनके परिणामस्वरूप कोई स्थायी आंशिक या स्थायी पूर्ण अपंगता नहीं हुई         ख2(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख2(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख3(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई         ख3(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख3(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख3(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख4(i)       उन दुर्घटनाओं के संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या         ख4(i)       तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष		-	
ख1(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से कम समय के भीतर भवन कामगार अपंग हुए         ख1(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख2(ii)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों के बाद भवन कामगार अपंग हुए लेकिन जिनके परिणामस्वरूप कोई स्थायी आंशिक या स्थायी पूर्ण अपंगता नहीं हुई         ख2(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख2(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख3(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई         ख3(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख3(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख4(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या         ग       तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष	क	वर्ष के दौरान किसी दिन नियोजित भवन कामगारों की अधिकतम संख्या	
<ul> <li>कामगार अपंग हुए</li> <li>ख1(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या</li> <li>ख2(ii) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों के बाद भवन कामगार अपंग हुए लेकिन जिनके परिणामस्वरूप कोई स्थायी आंशिक या स्थायी पूर्ण अपंगता नहीं हुई</li> <li>ख2(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या</li> <li>ख2(iii) इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या</li> <li>ख3(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई</li> <li>ख3(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या</li> <li>ख3(iii) इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या</li> <li>ख4(i) उन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या</li> <li>ख4(ii) वन दुर्घटनाओं के संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या</li> <li>ग तारीखें दर्शते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष</li> </ul>	ख	वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या	
ख1(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख2(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों के बाद भवन कामगार अपंग हुए लेकिन जिनके परिणामस्वरूप कोई स्थायी आंशिक या स्थायी पूर्ण अपंगता नहीं हुई         ख2(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख2(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख3(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई         ख3(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख3(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख4(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या         ग       तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष	ख1(i)	उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप <b>48 घंटों से कम समय</b> के भीतर भवन	
ख1(iiii)       नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख2(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों के बाद भवन कामगार अपंग हुए लेकिन जिनके परिणामस्वरूप कोई स्थायी आंशिक या स्थायी पूर्ण अपंगता नहीं हुई         ख2(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख2(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख3(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई         ख3(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख3(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख4(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या         ग       तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष		कामगार अपंग हुए	
ख2(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों के बाद भवन कामगार अपंग हुए लेकिन जिनके परिणामस्वरूप कोई स्थायी आंशिक या स्थायी पूर्ण अपंगता नहीं हुई ख2(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या उन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई ख3(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या उन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या यिरणामी मौतों की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष	ख1(ii)	इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या	
अपंग हुए लेकिन जिनके परिणामस्वरूप कोई स्थायी आंशिक या स्थायी पूर्ण अपंगता नहीं हुई  ख2(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या  ख2(iii) इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या  ख3(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई  ख3(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या  ख3(iii) इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या  ख4(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या  ग तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष	ख1(iiii)	नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या	
च2(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या  ख2(iii) इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या  ख3(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई  ख3(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या  ख3(iii) इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या  ख4(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या  ग तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष	ख2(i)	उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप <b>48 घंटों के बाद</b> भवन कामगार	
ख2(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख2(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख3(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई         ख3(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख3(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख4(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या         ग       तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष		अपंग हुए लेकिन जिनके परिणामस्वरूप कोई स्थायी आंशिक या स्थायी पूर्ण अपंगता	
ख2(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख3(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई         ख3(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख3(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख4(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या         ग       तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष		नहीं हुई	
ख3(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई         ख3(ii)       इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या         ख3(iii)       इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या         ख4(i)       उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या         ग       तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष	ख2(ii)	इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या	
ख3(ii) इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या  ख3(iii) इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या  ख4(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या  ग तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष	ख2(iii)	इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या	
ख3(iii) इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या  ख4(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या  ग तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष	<b>ख</b> 3(i)	उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक या पूर्ण अपंगता हुई	
ख4(i) उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा परिणामी मौतों की संख्या  ग तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष	ख3(ii)	इसमें शामिल भवन कामगारों की संख्या	
परिणामी मौतों की संख्या	ख3(iii)	इन दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवसों की संख्या	
<b>ग</b> तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष	ख4(i)	उन दुर्घटनाओं की संख्या जिनसे परिणामस्वरूप भवन कामगारों की मृत्यु हुई तथा	
		परिणामी मौतों की संख्या	
	ग	तारीखें दर्शाते हुए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष	
प्रस्तुत स्थापन के प्रबंधन, इसकी अवस्थिति, या अन्य किन्ही विवरणों में परिवर्तन,		प्रस्तुत स्थापन के प्रबंधन, इसकी अवस्थिति, या अन्य किन्हीं विवरणों में परिवर्तन,	
यदि कोई हो		यदि कोई हो	

#### घोषणा

प्रमाणित किया जात	<mark>ता है कि उपरोक्त</mark>	जानकारी सत्य	। और सही है अं	ौर मैं यह भी	प्रमाणित करत	ा हूं कि मैंने	अपने स्थापन प	र लागू श्रम
विधियों के सभी उप	बंधों का अनुपाल	न किया है।						

	<u> </u>	:
स्थान	तागर्ख	ਹਵਾਵਾਗਅਤ ਕਤ
	VI V 9	181 870191 / 1/2000000000000000000000000000000000

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण)

टिप्पण: कतिपय श्रम विधि के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों का सुव्यवस्थीकरण नियम, 2017 अधिसूचना संख्या सा.का.नि.294(अ), तारीख 28 मार्च, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड(i) में प्रकाशित किये गये थे।

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

- **G.S.R. 1333(E).**—The following draft of certain rules to amend the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by;-
  - (i) section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);
  - (ii) section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979);
  - (iii) section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and after consultation with the expert committee;

read with Chapter III of the Information Technology Act (21 of 2000), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India and Director General (Labour Welfare), Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi-110011;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

#### **DRAFT RULES**

- 1. (1) These rules may be called the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws (Amendment) Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. The Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017 (herein after referred to as the principal rules) shall be amended in the manner specified below, namely:-
- (i) in rule 2 of the principal rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
  - "(3) Nothwithstanding anything contained in sub-rule (1), the central government may require any person to file any Form specified in the Schedule annexed to these rules mandatorily online on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment for the purposes of the aforesaid enactments and the rules made thereunder.";
- (ii) after Form XII specified in the Schedule annexed to the principal rules, the following Forms shall be inserted, namely:-

#### "FORM XIII

[Under rule 17(1) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971;

rule 23(1) of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998; and rule 3(1) of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980]

# APPLICATION FOR REGISTRATION OF ESTABLISHMENTS EMPLOYING CONTRACT LABOUR/MIGRANT WORKMEN/BUILDING WORKERS

#### **Details of Establishment**

- 1. Name and location of the establishment
- 2. Postal address of the establishment
- 3. PAN/GSTIN/LIN Number
- 4. Full name and address of the Principal Employer/Employer\*
- 5. Full name and address of the Manager or person responsible for supervision and control of the establishment.
- 6. Nature of work/ building or the other construction work\* carried on in the establishment.
- 7. Maximum number of workmen/Building workers\* to be employed in the establishment on any day.
- 8. Estimated date of commencement of building or other construction work\*.
- 9. Estimated date of completion of building or other construction work\*.

#### Details of contractors\*\*

Serial Number	Name & Address	PAN/GSTIN/ LIN Number	Mobile Number	e- mail ID	Nature of work	Maximum number of workmen to be employed on any day.	Estimated date of commencement of work	Estimated date of completion of work

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

10. Amount of registration fee:

Signature of the Principal employer/Employer\*

- \* Please strike off whichever is not applicable.
- \*\* To be filled in by the Principal Employer.

#### FORM-XIV

#### UNIFIED ANNUAL RETURN

[Under rule 82(1) & 82(2) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules,1971; rule 242 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998; and rule 45(1) & 56(2) of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980]

S.NO.	A. General part:	,		
(a) Na	me of the establishment			
	ddress of the establishment: House No./Flat No own District State Pin Code			Street/ Plot No
(b) Na	me of the employer			
	ddress of the employer: House No./Flat NoStreet/ Plo atePin Code	t No	_ Town_	District
E-1	mail IDMobile NoMobile No			
(c) Na	ame of the manager or person responsible for supervision	on and	control	of the establishment
D	ddress: House No./Flat NoStreet/Plot istrictStatePin Code			Town
	mail IDMobile NoMobile No			
S.No. I	B Employer's registration and license number under the Acts men	tioned in c	olumn (2	of the Table below:
S.No	Name	Registra	ation	If yes (Registration No.)
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.			
2.	Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.			
3.	Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979.			
4.	Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.			
5.	Employees' State Insurance Act, 1948.			
6.	Mines Act, 1952- Notice of opening under Regulation 3 of Coal Mines Regulation, 1957 or Regulation 3 of MMR 1961.			
7.	Factories Act, 1948.			
8.	Motor Transport Workers Act, 1961.			
9.	Shops and Establishments Act (State Act).			
10.	Any other Law for the time being in force.			
S. No.	C Details of principal employer, contractor and contract labour:			
1.	Name of the principal employer in the case of a contractor's establishment.			
2.	Date of commencement of the establishment.			
3.	Number of contractors engaged in the establishment during the			

4.	Total Number of days during the year on which contract labour were employed.	
5.	Total number of man-days worked by contract labour during the year.	
6.	Name of the Manager Agent (In case of mines).	
7.	Address House No./Flat NoStreet/Plot No	Town Mobile

## S. No. D Working hours and week day:

1.	Number of working days during the year.	
2.	Number of man-days worked during the year.	
3.	Daily hours of work.	
4.	Weekly day of rest.	

# S.No. E Maximum number of persons employed in any day during the year:

Sl. No.	Males	Females	Adolescents (between the age of 14 to 18 years.)	Children (below 14 years of age.)	Total

# S.No.F Wage rates (Category wise):

Category	Rates of	Number of workers							
	Wages			Regular			(	Contract	
		Male	Female	Children	Adolescent	Male	Female	Children	Adolescent
Highly Skilled									
Skilled									
Semi- skilled									
Un-skilled									

# S.No.G (a) Details of payments:

Gross wages paid		Deductions			Net wages paid	
In cash	In kind	Fines	Deductions for damage or loss	Others	In cash	In kind

#### (b) Number of workers who were granted leave with wages during the year:

Sl. No.	During the year	Number of workers	Granted leave with wages

#### S.No.H Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:

Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)	

# S.No.I The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979 and the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Central Rules, 1980:

Number of	Nature of work or	Maximum number of	Total number of days	Total number of man-
Contractors worked	operation in which	inter-State migrant	during the year on	days of inter-State
in the	inter-state migrant	workmen employed	which migrant	migrant workmen
establishment	workmen were		workmen were	worked
during the year	employed		employed	
1.	2.	3.	4.	5.

# No.J <u>Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1996 Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Central Rules, 1998:</u>

_	M ' 1 (1 '11' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
<u>A</u>	Maximum number of building workers employed on any day during	
	the year	
D		
<u>B</u>	The number of accidents that took place during the year	
B1(i)	The number of accidents resulting in disablement of building workers	
<u>D1(1)</u>	for less than 48 hours	
	101 less than 40 hours	
B1(ii)	The number of building workers involved	
<u>B1(iii)</u>	The number of man-days lost	
<b>B2(i)</b>	The number of accidents resulting in disablement of building workers	
22(1)	<b>beyond 48 hours</b> but not resulting in any permanent partial or	
	permanent total disablement	
B2(ii)	The number of building workers involved	
	-	
B2(iii)	The number of man-days lost on account of such accidents	
B3(i)	The number of accidents resulting in permanent partial or total	
<u>D3(1)</u>	disablement	
	disablement	
B3(ii)	The number of building workers involved	
	-	
<u>B3(iii)</u>	The number of man-days lost on account of such accidents.	
B4(i)	The number of accidents resulting in deaths of building workers and	
D4(1)	the number of resultant deaths	
	the number of resultant deaths	
<u>C</u>	Change, if any, in the management of the establishment, its location,	
	or any other particulars furnished to the Registering Officer in the	
	application for Registration indicating also the dates	
	application for registration indicating also the dates	
	I .	

#### **DECLARATION**

It is to certify that the above information is true and correct, and I also certify that I have complied with all the provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

PLACE	DATE	SIGN. HERE	
-------	------	------------	--

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy. & Director-General (Labour Welfare)

**Note :** The Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 294(E),dated the 28<sup>th</sup> March.2017.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1334(ब).— (ठेका श्रम) (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 को और आगे संशोधित करने का प्रस्ताव करती है उन कितपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप एतद्वारा उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित करने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से 30 दिन की अविध समाप्त हो जाने के उपरांत विचार किया जाएगा जिसको उस राज्यपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी जाएं जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हो;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, भारत सरकार के संयुक्त सचिव-और-महानिदेशक (श्रम कल्याण), जैसलमेर हाऊस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं;

उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

#### प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों का नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2017 है।
  - (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में-
- (i) नियम 82 में, -
  - (।) उप नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
    - "(1) प्रत्येक मूल नियोक्ता और ठेकेदार श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप XIV में ऑनलाइन एकीकृत वार्षिक विवरणी जिस वर्ष से यह संबंधित हो उस वर्ष के अंत के बाद फरवरी के प्रथम दिवस को अथवा उससे पूर्व दाखिल करेगा;"
- (II) उप नियम (2) हटा दिया जाएगा;
- (ii) प्ररूप XXIV और प्ररूप XXV हटा दिए जाएंगे;

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एलडब्ल्यू (ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण)

टिप्पणी : ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 191 द्वारा तारीख 10 फरवरी, 1971 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 5 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 1128 (अ) द्वारा किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2017

**G.S.R. 1334(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules,1971, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India-and-Director General (Labour Welfare), Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi-110011;

Objections and suggestions, which may be received from any person respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period, will be considered by the Central Government.

#### **DRAFT RULES**

- 1. (1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971,-
- (i) in rule 82,-
  - (I) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
    - "(1) Every principal employer and contractor shall file a Unified Annual Return online in Form XIV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017, on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment on or before the 1st day of February following the end of the year to which it relates.";
  - (II) sub-rule (2) shall be omitted;
- (ii) Form XXIV and Form XXV shall be omitted;

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy. & Director-General (Labour Welfare)

**Note :** The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 191, dated the 10th February,1971 and lastly amended vide notification number G.S.R. 1128(E), dated the 5th September,2017.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि.1335(अ).— अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 को और आगे संशोधित करने का प्रस्ताव करती है, उन कितपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप एतद्वारा उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित करने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत विचार किया जाएगा जिसको उस राज्यपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी जाएं जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हो;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, भारत सरकार के संयुक्त सचिव-और-महानिदेशक (श्रम कल्याण), जैसलमेर हाऊस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं:

उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

#### प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों का नाम अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2017 में-
- (i) नियम 56 के लिए, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"56 प्रत्येक मूल नियोक्ता और ठेकेदार श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर कतिपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप XIV में ऑनलाइन एकीकृत वार्षिक विवरणी जिस वर्ष से यह संबंधित हो उस वर्ष के अंत के बाद फरवरी के प्रथम दिवस को अथवा उससे पूर्व दाखिल करेगा;"

(ii) प्ररूप XXIII और प्ररूप XXIV हटा दिए जाएंगे;

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एल डब्ल्यू (ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण)

**टिप्पणी:-** अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 513(अ) द्वारा तारीख 11.08.1980 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 28 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 294 (अ) द्वारा किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2017

**G.S.R.1335(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979) is published as required by sub-section (1) of section 35 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India and Director General (Labour Welfare), Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi-110011;

Objections and suggestions, which may be received from any person in respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period, will be considered by the Central Government.

#### DRAFT RULES

- 1. (1) These rules may be called the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 2017,-
- (i) for rule 56, the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "56. Every principal employer and contractor shall file a Unified Annual Return online in Form XIV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017, on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment on or before the 1st day of February following the end of the year to which it relates.";
- (ii) Form XXIII and Form XXIV shall be omitted;

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)]

**Note:** The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 513(E), dated 11.08.1980 and lastly amended vide notification number G.S.R. 294(E),dated the 28th March,2017.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि.1336 (अ).— भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 को और आगे संशोधित करने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित करने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत विचार किया जाएगा जिसको उस राज्यपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी जाएं जिसमें यह अधिसुचना प्रकाशित हो;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, भारत सरकार के संयुक्त सचिव-और-महानिदेशक (श्रम कल्याण), जैसलमेर हाऊस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं;

उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

#### प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों का नाम भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1998 में-
- (i) नियम 242 में, -
- (I) उप नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
  - "(1) पंजीकृत प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर कितपय श्रम नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के उपाबद्ध प्ररूप XIV में ऑनलाइन एकीकृत वार्षिक विवरणी जिस वर्ष से यह संबंधित हो उस वर्ष के अंत के बाद फरवरी के प्रथम दिवस को अथवा उससे पूर्व दाखिल करेगा;"
- (II) उप नियम (2) हटा दिया जाएगा;
- (ii) प्ररूप XXV हटा दिया जाएगा;

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एलडब्ल्यू (ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण)

टिप्पणी:- भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) द्वारा तारीख 19 नवम्बर, 1998 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 28 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 294 (अ) द्वारा किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2017

G.S.R.1336(E).— The following draft of certain rules further to amend the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India-and-Director General (Labour Welfare), Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi-110011;

Objections and suggestions, which may be received from any person respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period, will be considered by the Central Government.

#### DRAFT RULES

- 1. (1) These rules may be called the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998,-
- (i) in rule 242,-
  - (I) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(1) Every employer of a registered establishment shall file a Unified Annual Return online in Form XIV annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017, on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment on or before the 1st day of February following the end of the year to which it relates.";
  - (II) sub-rule (2) shall be omitted;
- (ii) Form XXV shall be omitted.

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy. Director-General (Labour Welfare)

**Note:**- The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 689(E), dated the 19th November,1998 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 294(E),dated the 28<sup>th</sup> March,2017.